न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

1/49 /18

तारीख रजू
06.04.2018

तारीख निर्णय
14.06.2018

उनवान

1. मुबीन अहमद पुत्र खूबी अहमद जाति मेव निवासी ग्राम पहाडपुर तहसील हथीन जिला पलवल हाल निवासी ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादी

2. बत्तू पुत्र सुफेदी
3. शेरखां पुत्र बत्तु
4. अशरफी पत्नी बत्तु जातियान मेव निवासियान ग्राम डायना का बास तहसील नगर जिला भतरपुर
5. रामजीलाल पुत्र भिक्कन जाति मेघवाल निवासी जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
6. मूर्ति देवी पत्नी अनन्तराम जाति गुर्जर निवासी तिगावां तहसील व जिला फरीदाबाद हरियाणा।

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। आराजी खसरा नम्बर 885 रकबा 0.20 हैक्ट0 जो तरतीबी प्रतिवादी सं0 2 की आराजी खसरा नम्बर 879 रकबा 0.23, 884 रकबा 0.23 हैक्ट0 जो तरतीबी प्रतिवादी सं0 3 व 4 की, खसरा नम्बर 875 रकबा 0.18 जो तरतीबी प्रतिवादी सं0 5, आराजी खसरा नम्बर 874 रकबा 0.20 हैक्ट0 जो तरतीबी प्रतिवादी सं0 6 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा आराजी खसरा नम्बर 891 रकबा 0.20 हैक्ट0 गै0मु0तिबारा व आराजी खसरा नम्बर 880 रकबा 1.26 हैक्ट0 वादी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसकी ताईद में जमाबन्दी संलग्न है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम जहानपुर का साबिक खसरा नम्बर 629 रकबा 4 बीघा 19 बिस्व जो रास्ते का नम्बर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया हुआ है ताईद में जमाबन्दी व नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है। हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 जो राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी गै0मु0रास्ता रिकार्ड में दर्ज है जो मौके के खिलाफ दर्ज किया गया है जबकि वास्तव में गै0मु0रास्ता मौके पर इस प्रकार से दर्ज है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

नम्बर 890 के दक्षिण दिशा में, खसरा नम्बर 891, 874, 875 के दक्षिणी छोर से होता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है जो खसरा नम्बर 875 के दक्षिण व पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 885 में दक्षिणी सीमा से लगता हुअ 885 के मध्य तक आता है तथा खसरा नम्बर 885 के मध्य से घुमकर तरफ पूर्व की ओर खसरा नम्बर 884 के मध्य से गुजरता हुआ खसरा नम्बर 879 की उत्तरी सीमा से पूर्व की और खसरा नम्बर 880 में प्रवेश करता है और खसरा नम्बर 880 की दक्षिणी सीमा से लगता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे निकल जाता है। जिस सम्पूर्ण रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक बनाई जा चुकी है। नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति में माननीय न्यायालय की सुविधा की दृष्टि से उक्त मौके पर स्थित रास्ते को रंगसुर्ख से दर्शाया गया है जिसे दावे का भाग माना जाकर पढा जावे। हाल नक्शा ट्रेस में जो रास्ता विवादित आराजी पर दर्शाया गया है उस अनुसार मौका पर रास्ता नही है बल्कि प्रस्तुत नक्शे में रंगसुर्ख दर्शित स्थान के अनुसार मौके पर कदीमी रास्ता चला आ रहा है। जिससे समस्त ग्रामवासी अपने साधनों सहित आवागमन के उपयोग में लेते चले आ रहे है। इसलिए वादी नक्शा ट्रेस व रिकार्ड के अनुसार गलत प्रकार से रास्ता मौके के खिलाफ दर्शाये जाने के कारण उसे अपने हकूको के खिलाफ बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिलाने के एवं उक्त नक्शा को उपरोक्तानुसार दुरूस्त करवाकर संलग्न नक्शा में दर्शित रंग स्थान पर दर्शाये गये रास्ते को कायम कराने का कानूनन अधिकारी है।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत घोषणात्मक सादिर की जाकर विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के नक्शा बन्दोबस्त 2058 एवं हाल राजस्व रिकार्ड जिस तरह से दर्शाया गया है वो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून होने के कारण उन्हें वादी के हकूको के खिलाफ बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जावे। और विवादित आराजी के नक्शा बन्दोबस्त व हाल को दुरूस्त कराया जाकर वाद के साथ संलग्न फोटो प्रति नक्शा सन् 2000 में रंग सुर्ख मे दर्शित स्थान पर मौके पर कायम चले आ रहे रास्ते के अनुसार नक्शे को दुरूस्त कराया जावें। और असल प्रतिवादी को इस कदर पाबन्द किया जावे कि वादी को उनकी खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल ना करें, ना उसमें जबरन रास्ता बनाये तथा वादी को

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

उनकी आराजीयात में बने हुए पुख्ता मकान का उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय उपस्थित नही हुए। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

वादी ने दावे के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2071, नक्शा ट्रेस सन् 2000, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058, जमाबन्दी सम्वत 2058 से पूर्व की जिसमें सम्वत अंकित नही है, पेश की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में दिनांक 14.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अध्ययन से आराजी खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम जहानपुर का साबिक खसरा नम्बर 629 रकबा 4 बीघा 19 बिस्व जो रास्ते का नम्बर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया हुआ है जो जमाबन्दी व नकल मिलान क्षेत्रफल से साबित है। हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 जो राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी गै0मु0रास्ता रिकार्ड में दर्ज है जो मौके के खिलाफ दर्ज किया गया है जबकि वास्तव में गै0मु0रास्ता मौके पर इस प्रकार से दर्ज है। खसरा नम्बर 890 के दक्षिण दिशा में, खसरा नम्बर 891, 874, 875 के दक्षिणी छोर से होता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है जो खसरा नम्बर 875 के दक्षिण व पूर्वी कोने से खसरा नम्बर 885 में दक्षिणी सीमा से लगता हुअ 885 के मध्य तक आता है तथा खसरा नम्बर 885 के मध्य से घुमकर तरफ पूर्व की ओर खसरा नम्बर 884 के मध्य से गुजरता हुआ खसरा नम्बर 879 की उत्तरी सीमा से पूर्व की और खसरा नम्बर 880 में प्रवेश करता है और खसरा नम्बर 880 की दक्षिणी सीमा से लगता हुआ पूर्व दिशा की ओर आगे निकल जाता है। जिस सम्पूर्ण रास्ते पर ग्राम पंचायत द्वारा ग्रेवल सडक बनाई जा चुकी है। उक्त मौके पर स्थित रास्ते को रंगसुर्ख से दर्शाया गया है। हाल नक्शा ट्रेस में जो रास्ता विवादित आराजी पर दर्शाया गया है उस अनुसार मौका पर रास्ता नही है बल्कि प्रस्तुत नक्शे में रंगसुर्ख दर्शित स्थान के अनुसार मौके पर कदीमी रास्ता चला आ रहा है। जिससे समस्त ग्रामवासी अपने साधनों सहित आवागमन के उपयोग में लेते चले आ रहे है। इसलिए वादी नक्शा ट्रेस व रिकार्ड के अनुसार गलत प्रकार से रास्ता मौके

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

के खिलाफ दर्शाये जाने के कारण उसे दुरूस्त करवाकर नक्शा में दर्शित रंग स्थान पर दर्शाये गये रास्ते को कायम कराने का कानूनन अधिकारी है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के नक्शा बन्दोबस्त 2058 एवं हाल राजस्व रिकार्ड जिस तरह से दर्शाया गया है वो गलत दर्शाया है और विवादित आराजी के नक्शा बन्दोबस्त व हाल को दुरूस्त कर मौके पर कायम चले आ रहे रास्ते के अनुसार नक्शे को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। तथा असल प्रतिवादी को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादी को उनकी खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल ना करें, ना उसमें जबरन रास्ता बनाये तथा वादी को उनकी आराजीयात में बने हुए पुख्ता मकान का उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
ठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मालपुर)
ठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/49 /18	06.04.2018	14.06.2018

उनवान

1. मुबीन अहमद पुत्र खूबी अहमद जाति मेव निवासी ग्राम पहाडपुर तहसील हथीन जिला पलवल हाल निवासी ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादी

2. बत्तू पुत्र सुफेदी
3. शेरखां पुत्र बत्तु
4. अशरफी पत्नी बत्तु जातियान मेव निवासियान ग्राम डायना का बास तहसील नगर जिला भतरपुर
5. रामजीलाल पुत्र भिक्कन जाति मेघवाल निवासी जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।
6. मूर्ति देवी पत्नी अनन्तराम जाति गुर्जर निवासी तिगावां तह0 व जिला फरीदाबाद हरियाणा।

............तरतीबी प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 873 रकबा 1.26 हैक्ट0 गै0मु0रास्ता वाके ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के नक्शा बन्दोबस्त 2058 एवं हाल राजस्व रिकार्ड जिस तरह से दर्शाया गया है वो गलत दर्शाया है और विवादित आराजी के नक्शा बन्दोबस्त व हाल को दुरूस्त कर मौके पर कायम चले आ रहे रास्ते के अनुसार नक्शे को दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। तथा असल प्रतिवादी को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादी को उनकी खातेदारी की आराजी से जबरन बेदखल ना करें, ना उसमें जबरन रास्ता बनाये तथा वादी को उनकी आराजीयात में बने हुए पुख्ता मकान का उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

तरतीबी प्रतिवादीगण